

INFORMATION UNDER RTI ACT, 2005

No.C-30019/2/2017-Estt.VI/ (i) 1142
Government of India
Central Water Commission

528 (N) Sewa Bhawan,
R.K. Puram, New Delhi-66.
Dated the 19th January, 2018.

To

Shri Roodra Pratap Singh,
Vill.-Manawan, Post-Manawan,,
Near Asothar,,
District-Fatehpur-212620, (U.P.).

Sub: Online RTI Application under RTI Act, 2005 of Shri Roodra Pratap Singh, Fatehpur, U.P. - regarding.

Sir,

I am directed to enclose a copy of information received from CPIO (E.V), CWC regarding promotion policy of JEs in CWC sought by you vide your application dated 22-12-2017 under RTI Act, 2005.

2. As per provision 19(1) of RTI Act, Shri M. Raghuram, Director (Estt.VI), 7th Floor (South), Central Water Commission, Sewa Bhawan, New Delhi-110066, is the 1st Appellate Authority.

Yours faithfully,



(SACHIN DEV VARMA)
UNDER SECRETARY (Estt.VI) & CPIO
Tel.No.29583637

Copy to:-

- i) Shri Rajesh Sharma, Under Secretary & Nodal Officer w.r.t. letter No. A-49012/8/2017/RTI/429, dated 22.12.2017.
ii) The Deputy Director, SMD, CWC for uploading on website.

AWL
23.1.18
AD-II(A)

SMD. ४३३ / Sec. / R.R. / Dto.
डा. स. / Dy. No. 169
दिनांक / Date 23/1/18

No.C-30019/2/2017-Estt.VI(ii) 167
GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL WATER COMMISSION

Room No.528(N), Sewa Bhawan;
R.K. Puram, New Delhi-110066.

Dated the 8th January, 2018.

✓ To

Shri R.N. Bharti,
Under Secretary & CPIO,
Estt. V Section
CWC, New Delhi

**Sub: Transfer of application of Shri Roodra Pratap Singh, Fatehpur, UP
under Section 6(3) of RTI Act, 2005.**

Sir,

Please find enclose a copy of application No.CWCND/R/2017/50108, dated 22.12.2017 (received to this CPIO on 02.01.2018) regarding promotion policy for Junior Engineer in CWC. The matter of the application is pertaining to you, hence the same is transferred under section 6 (3) of RTI Act, 2005 with request that the information may please be furnished to the applicant before 22.01.2018.

Yours faithfully,

(Sachin)

(Sachin Dev Verma)

UNDER SECRETARY (Estt.VI) & CPIO

Tel.No.29583510

Copy To

1. Shri Rajesh Sharma, Under Secretary & Nodal Officer w.r.t. letter No.A-49012/8/2017/RTI/429, dated 22.12.2017.
2. The Deputy Director, SMD, CWC for uploading on website

Applicant promoted
to the post of AD
may submit draft
reply

S.O.(E-VI) 11/1

Promotion Policy for JE as per the
provisions of RZ (copy enclosed). other three
parts relate to JE and thus it pertains to
ur (E-VI)

Des. No. 135/E.V
12/1/18

11/1/18

S6/US(E-VI) 11/1/18

11/1/18

RTI REQUEST DETAILS

Registration No. : CWCND/R/2017/50108

Date of Receipt : 22/12/2017

Type of Receipt : Online Receipt

Language of Request : English

Name : Roodra pratap singh

Gender : Male

Address : Vill manawan post manawan , Near asothar, distt fatehpur ,
Pin:212620

State : Uttar Pradesh

Country : India

Phone No. : Details not provided

Mobile No. : +91-9891649441

Email : rpsingh19192@gmail.com

Status(Rural/Urban) : Rural

Education Status : Graduate

Is Requester Below Poverty Line ? No

Citizenship Status : Indian

Amount Paid : 10)

Mode of Payment : Payment
Gateway

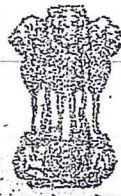
Request Pertains to :

My name roodra pratap singh. selected as je by ssc exam 2015
1. When will I got my joining letter
2. If it is already ready then which region I got
3. what is the promotion policy for je in cwc
4. what is the gross salary of je in all category city

Print Save Close

21/12/17
जीए

429



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

नई दिल्ली, मार्च 22—मार्च 28, 2009, शनिवार/चैत्र 1—चैत्र 7, 1931

NEW DELHI, MARCH 22—MARCH 28, 2009, SATURDAY/CHAITRA 1—CHAITRA 7, 1931

इस भाग में निम्न सूची संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुस्तक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Page is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authority (other than the Administrations of Union Territories)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2009

अनुच्छेद 26.—यह प्रति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (2) के अनुसरण में एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात् :—
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री राजेन्द्र मल लोधा, जिन्हें पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, अपने मूल उच्च न्यायालय अर्थात् राजस्थान उच्च न्यायालय से बाहर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि तक, अपने वेतन के 10% दर से प्रतिवर्ष भत्ता पाने के पात्र होंगे।

[सं. के. 11017/9/2008-यू.एस.-1/11]

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 20th February, 2009

Art. 26.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order, namely :—

Chief Justice Rajendra Mal Lodha, Judge of the Rajasthan High Court who was appointed as the Chief Justice of the Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of 10% of

12/11

12/11, जामनगर हाउस
नई दिल्ली-110011

दूरभाष सं. 23384513

ईमेल nsspacell@hotmail.com

[सं. 1-6/2007/पीजी/आईएफसी]

वी. मोहनन, अवर सचिव

New Delhi, the 13th March, 2009

In modification of earlier orders, notifications, the following officers of National Service Scheme at the Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs and Sports are declared as Appellant Central Public Information Officer under Section 5(1) of RTI Act, 2005, as given below:

NATIONAL SERVICE SCHEME

Designation of the Appellant Authority

Name and Designation of CPIO

Chief

Dr. Gopalji

Deputy

Deputy Programme Adviser

National Service Scheme (NSS)

Cell, NSS Room No. 152-154

12/11

12/11, Jammagar House

New Delhi

New Delhi-110011

Tel. No.

Tel. No. 23384513

E-Mail

E-Mail: nsspacell@hotmail.com

[No. 1-6/2007-PG/ITC]

V. MOHANAN, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2009

विषय: जल संचयन, संचयन के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह, 1969 का जल संचयन के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लक्ष्य किया गया है, अर्थात् :-

विषय नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा नियम, 2009 है।

(2) ये नियमों में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषा :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

क) "नियंत्रक प्राधिकारी" से केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

ख) "विभागीय प्रवृत्ति समिति" से अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट विभागीय प्रवृत्ति समिति अभिप्रेत है;

ग) "ज्युट फंड" से अनुसूची 1 के स्तंभ 5 में विनिर्दिष्ट ज्युट फंड अभिप्रेत है;

घ) "श्रेणी" से सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है;

ङ) श्रेणी के संदर्भ में, "नियमित सेवा" से अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नियमित आधार पर उस श्रेणी में चयन के परचात की गई सेवा की अवाध अभिप्रेत है;

च) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत हैं;

छ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजातियां" का वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में उनका है;

ज) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा अभिप्रेत है।

3. केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा का गठन :—(1) केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा में नियमित आधार अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट ड्यूटी पर धारण करने वाले अधिकारी होंगे।

(2) ड्यूटी पदों को समूह 'ख' पदों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4. श्रेणी, प्राधिकृत संख्या और उसका पुनर्विलोकन :—(1) श्रेणी में सम्मिलित ड्यूटी पद, उनका संख्या और उनका वेतनमान वह होगा, जो अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से—

(क) पदों की संख्या से संबंधित अनुसूची-1 के स्तंभ (3) का, समय-समय पर संशोधन कर सकती, और

(ख) किसी ड्यूटी पद को सेवा में सम्मिलित कर सकती या उससे अपवर्जित कर सकती।

(3) नियंत्रक प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से और सादृश्य श्रेणी में निरंतर नियमित सेवा पर धारण करने के पश्चात् उन अधिकारियों की ज्येष्ठता निश्चित कर सकती, जिनके पद उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन सेवा में सम्मिलित किए गए हैं।

5. सेवा पर नियुक्ति :—(1) अनुसूची-1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पर नियुक्त कोई व्यक्ति, जिसकी नियुक्ति की तारीख से विनिर्दिष्ट श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक पद निम्नलिखित रीति में भरा जाएगा, अर्थात् :—

(क) ऐसी श्रेणी के और ऐसी न्यूनतम अर्हता सेवाओं जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट हैं, जाले और प्रोन्नति में से प्रेरित द्वारा;

(ख) ऐसी प्रोन्नति चयन द्वारा की जाएगी;

(ग) ऐसी प्रोन्नति अनुसूची-3 में वर्णित विनिर्दिष्ट विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर की जाएगी, और

(घ) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां, उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब तक नहीं होगा जब तक कि उनके द्वारा की गई सेवा अर्हता या पात्रता सेवा, ऐसे अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्षों से कम नहीं हो, कम नहीं हो और न उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, अपनी उच्चतम श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

6. प्रतिनियुक्ति द्वारा पदों का भरा जाना :—(1) नियम 5 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी प्राधिकारी की सह राय कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और केन्द्रीय सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा सेवा के पदों को भर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हताएं, अनुभव और पात्रता सेवा वह होगी जो अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट है।

7. ज्येष्ठता :—(1) सेवा के अधिकारियों की सापेक्ष ज्येष्ठता का अवधारण डिजाइन सहायक की श्रेणी में नियुक्त अधिकारियों के नियमों के प्रारंभ की तारीख को संबंधित पूर्व समामेलित श्रेणी में परस्पर ज्येष्ठता प्रतिधारण करने वाले अधिकारियों के सह सहायक इंजीनियर अतिरिक्त सहायक निदेशक की श्रेणी में नियुक्त किए गए कनिष्ठतम अधिकारी से ठीक नीचे रखकर किया जाएगा।

परन्तु जहां किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता उक्त तारीख को विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई है वह ज्येष्ठता नियत शासित करने वाले उन नियमों के आधार पर अवधारित की जाएगी, जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा के सदस्यों को लागू थे।

(2) नियम (5) के अधीन नियुक्त सदस्यों से भिन्न सेवा में नियुक्त सदस्यों की ज्येष्ठता इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

8. परीक्षा :—(1) नियम 5 के अधीन नियुक्त सेवा का प्रत्येक सदस्य, दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होगा।

परन्तु नियंत्रक प्राधिकारी, इस निमित्त समय-समय पर उनके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परीक्षा की अवधि को बढ़ा कर सकता है।

परन्तु यह और कि ऐसा परीक्षा की अवधि के विस्तार का कोई विनिश्चय, परीक्षा की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के पश्चात् या उसके पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा तथा संबंधित अधिकारी को ऐसा करने के कारणों के साथ लिखित रूप में अवधि के भीतर सूचित किया जाएगा।

(2) यदि यथास्थिति, परीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, नियंत्रण प्राधिकारी की यह राय है कि अधिकारी सेवा करने के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह अधिकारी को, यथास्थिति, उन्मोचित कर सकता या अधिकारी को उस पद पर प्रतिवर्तित कर सकता।

(3) सेवा के सदस्यों की परीक्षा से संबंधित अन्य बातें जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आती हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों द्वारा अतिरिक्त होंगी।

9. भारत के किसी भाग में सेवा करने या कार्यरत और सेवा की अन्य शर्तें :—(1) सेवा का प्रत्येक सदस्य, भारत में या विदेश में भी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा का प्रत्येक सदस्य, यदि ऐसा अपेक्षित हो, चार वर्ष से अल्पतः अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण में बिताई गई अवधि भारत की सेवा से संबंधित कोई सेवा या पद पर सेवा करने के लिए दायी होगा।

फिर से सेवा के किसी सदस्य से—

(क) सेवा में नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्;

(ख) पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्;

आशा सेवा में सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

10. निरुद्धता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की सविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाभ स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुचित है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

11. स्थल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए आवश्यक है उसे लोचबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध की किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के विवाह निषेध कर सकेगी।

12. अनुसूचित :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका प्रावधान इस उपबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों के अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची-1

[नियम 2(ग), 3(1), 4(1) और 5(1) देखें]

सेवा में सम्मिलित पद का नाम, उनकी संख्या और पेंशनमान

क्र. सं.	पद का नाम	पद की संख्या	पेंशनमान	श्रेणी में सम्मिलित ड्यूटी पदों के व्यौर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	सहायक निदेशक	354* (2009)	6500-200-	(i) सहायक निदेशक श्रेणी-II/अप-प्रभागीय इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग (जिसके अंतर्गत डिजाइन सहायक भी हैं);	339
	श्रेणी-II/अप	*कार्यभार के आधार	10500 रु.	(ii) सहायक इंजीनियर/अतिरिक्त सहायक निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग;	7
	प्रभागीय इंजीनियर	पर प्रतिवर्तित किया जा सकता है।	(पूर्व पुनरीक्षित)	(iii) अतिरिक्त सहायक निदेशक, जल संसाधन मंत्रालय;	1
				(iv) सहायक निदेशक श्रेणी-II, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण।	7
					कुल 354

अनुसूची-2

[नियम 5(2) (क) देखें]

प्रोन्नति द्वारा भर्ती के लिए केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा में सहायक निदेशक श्रेणी-II/उप-प्रभागीय इंजीनियर के पद पर नियुक्ति के लिए प्रोन्नति का क्षेत्र और चयन के क्षेत्र में, निचली श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा निम्नानुसार होगी :-

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	श्रेणी जिससे चयन/प्रोन्नति की जानी है और चयन/प्रोन्नति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सहायक निदेशक श्रेणी-II/उप-प्रभागीय इंजीनियर	प्रोन्नति द्वारा	(1) चालीस प्रतिशत पद 500-8000 रु. (पूर्व पुनर्शिक्षित) के वेतनमान में ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) और कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिकी) में से भरे जाएंगे जिनमें उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या यांत्रिकी इंजीनियरी में स्नातक की उपाधि है ; और (2) साठ प्रतिशत पद 5000-8000 रु. (पूर्व पुनर्शिक्षित) के वेतनमान में ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) और कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिकी) में से भरे जाएंगे जिनमें, उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सिविल या यांत्रिकी इंजीनियरी का डिप्लोमा है । टिप्पणी : यदि किसी विशिष्ट प्रवर्ग से, उस प्रवर्ग से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले आवंटित पदों को भरे जाने के लिए किसी विशिष्ट प्रवर्ग में पात्र अधिकारियों संख्यात डिग्री धारक या डिप्लोमा धारक उपयुक्त संस्था में उदात्त नहीं है तो निम्न प्राधिकारी सभी या किन्हीं पदों को उस प्रवर्ग से भरा जा सकेगा कि किसी भी प्रवर्ग के अधिकारियों में से भरे जाने वाले पदों का संपूर्ण अनुपात जितना हो सके उपर्युक्त किए गए प्रतिशत के अनुसार बनाए रखा जा सके ।

अनुसूची-3

[नियम 5(ख) और 5(2) (ग) देखें]

प्रोन्नति और पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(1)	(2)
1. मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग	—अध्यक्ष
2. निदेशक या उप सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	—सदस्य
3. सचिव या निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग	—सदस्य

अनुसूची-4

[नियम 6(2) देखें]

प्रतिनियुक्ति द्वारा केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा में सहायक निदेशक श्रेणी-II/उप-प्रभागीय इंजीनियरी के पद पर नियुक्ति के निम्नलिखित क्षेत्र और न्यूनतम अर्हताएं तथा अनुभव निम्नानुसार होंगे :-

पद का नाम	पदों की पद्धति	नियुक्ति के लिए प्रतिनियुक्ति का क्षेत्र, अर्हताएं और अनुभव
(2)	(3)	(4)
सहायक निदेशक श्रेणी-II/उप-प्रभागीय इंजीनियरी	प्रतिनियुक्ति द्वारा	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी अथवा स्वायत्त विकास्यों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :- (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 5500-9000 रुपये (पूर्व पुनरीक्षित) के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में या समतुल्य श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं, अर्थात् :- (क) दिल्ली मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी में स्नातक की उपाधि; और (ख) सिविल इंजीनियरी या यांत्रिक इंजीनियरी से संबंधित कार्य में तीन वर्ष का अनुभव ।

[सं. 8/2009, फां. सं. 13/7/98-स्थापना-I(जिल्द III)]

के राजपत्र, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 18th March, 2009

G.O. R. 37.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of Central Water Engineering (Class II) Service Rules, 1964, except as respects things done or omitted to be done before supersession, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Water Engineering Group 'B' Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- "controlling authority" means the Chairman in the Central Water Commission, Ministry of Water Resources;
- "Departmental Promotion Committee" means the Departmental Promotion Committee specified in Schedule III;
- "duty post" means the duty posts specified in column (5) of Schedule-I;
- "grade" means the grade of the Service;
- "regular service", in relation to a grade, means the period of service in that grade rendered after selection thereto on regular basis in accordance with the procedure specified in Schedule-II;
- "Schedule" means Schedules appended to these rules;

(g) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to the clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution;

(h) "Service" means the Central Water Engineering Group 'B' Service constituted under rule 3.

3. Constitution of Central Water Engineering Group 'B' Service. — (1) The Central Water Engineering Group 'B' Service shall consist of officers holding duty posts specified in Schedule-I on regular basis.

(2) All duty posts shall be classified as Group 'B' posts.

4. Grade authorised strength and its review. — (1) The duty posts included in the grade, their number and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Schedule-I.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Central Government may, in consultation with the Union Public Service Commission—

(a) amend, from time to time, column (3) of Schedule-I relating to number of posts; and

(b) include in, or exclude from, the service any duty post.

(3) The controlling authority may, in consultation with the Central Government and after taking into account continuous regular service in the analogous grade, fix seniority of the officers whose post is included in the Service under clause (b) of sub-rule (2).

5. Appointment to the Service. — (1) A person appointed to the post specified in column (2) of Schedule-I shall be a member of the service in the grade specified therein, from the date of his appointment.

(2) Each post referred to in sub-rule (1) shall be filled in the following manner, namely—

(a) by promotion from amongst officers in such grade and with such minimum qualifying services as may be specified in Schedule-II;

(b) such promotion shall be made by selection;

(c) such promotion shall be made on the recommendations of the Departmental Promotion Committee specified in Schedule-III and

officers who have completed their qualifying or the eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or the eligibility service.

6. Filling of posts by deputations. — (1) Notwithstanding anything contained in rule 5, where the controlling authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Central Government and Union Public Service Commission, fill the posts in the Service by deputation for a period not exceeding three years.

(2) The qualifications, experience and the eligibility service for appointment under sub-rule (1) shall be as specified in Schedule-IV.

7. Seniority. — (1) The seniority of officers of the Service shall be determined on the date of commencement of these rules by placing officers appointed to the grade of Design Assistant en bloc immediately below the junior most officer appointed to the grade of Assistant Engineer or Extra Assistant Director with officers retaining inter-se seniority in the respective pre-merged grades.

Provided that where the seniority of any such member has not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the said date, and in the interim, the fixation of seniority as was applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

(2) The seniority of members appointed to the Service, other than those appointed under rule 5, shall be determined in accordance with the general rules framed by the Central Government in this regard from time to time.

8. Probation. — (1) Every member of the Service appointed under rule 5 shall be on probation for a period of two

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by it from time to time in this behalf.

Provided further that any decision for extension of such probation period shall be taken immediately after the expiry of initial period of probation or within eight weeks thereafter and communicated to the officer in writing together with reasons for so doing within the said period.

(2) If, during the period of probation, or any extension thereof, as the case may be, the controlling authority is of the opinion that the officer is not fit for continuance in service, it may discharge the officer or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(3) In respect of other matters relating to probation, not covered by these rules, the members of the Service will be governed by the orders/instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

10. **Liability to serve in any part of India and other conditions of Service.**—(1) Every member of the Service shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

(2) Every member of the Service, if so required, shall be liable to serve in any defence service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years, including the period spent on training, if any.

Provided that a member of the Service shall not be required to serve in defence service,—

(a) after the expiry of a period of ten years from the date of appointment to the Service

(b) after attaining the age of forty years.

11. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. **Reservations.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE I

[See rule 2(c), 3(1), 4(1) and 5(1)]

Name of post, its number and scale of pay included in the Service.

Sl. No.	Name of post	Number of post	Scale of pay	Details of duty posts included in the grade.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Assistant Director Grade-II/ Sub-Divisional Engineer	354* (2009) *Subject to variation dependent on workload.	Rs. 6500- 200-10500. (Pre-revised)	(i) Assistant Director Grade-II/Sub-Divisional Engineer, Central Water Commission (including Design Assistant; (ii) Assistant Engineer/Extra Assistant Director, Ganga Flood Control Commission (iii) Extra Assistant Director, Ministry of Water Resources; (iv) Assistant Director Grade-II, Central Electricity Authority.	339 7 1 7
Total					354

SCHEDULE-II

[See rule 5(2)(a)]

For recruitment by promotion, the field of promotion and the minimum qualifying service in the lower grade in field of selection of appointment to the post of Assistant Director Grade-II/Sub-Divisional Engineer in the Central Engineering Group 'B' Service shall be as under : —

Sl. No.	Name of post	Method of recruitment	Grades from which selection/promotion to be made and minimum qualifying service required for selection/promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Assistant Director Grade-II/Sub-Divisional Engineer	By promotion	(1) Forty per cent of the posts to be filled from amongst Junior Engineers (Civil) and Junior Engineers (Mechanical) in the scale of pay of Rs. 5000-8000 (Pre-revised) with six years regular service in the grade and possessing Bachelor's Degree in Civil or Mechanical Engineering from a recognized University, and (2) Sixty per cent of the posts to be filled amongst Junior Engineers (Civil) and Junior Engineers (Mechanical) in the scale of pay of 5000-8000 (Pre-revised) with eight years regular service in the grade and possessing Diploma in Civil or Mechanical Engineering from a recognized University or Institution. Note: If the required number of suitable officers is not available from a particular category, i.e. Degree holders or Diploma holders for filling posts allocated to be filled by promotion from that category, the controlling authority may fill all or part of the post(s) by promotion of suitable officers from the other category subject to condition that the overall proportion of posts filled from amongst the officers of either category shall be, as soon as could be, maintained in accordance with the percentage prescribed above.

SCHEDULE-III

[See rules 2(b) & 5(2)(c)]

Composition of Departmental promotional Committee for promotion and confirmation.

Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of:

(1)	(2)
1. Chief Engineer, Central Water Commission.	Chairman
2. Director or Deputy Secretary, Ministry of Water Resources.	Member
3. Secretary or Director, Central Water Commission.	Member

SCHEDULE—IV

[See rule 6(2)]

The field of deputation and minimum qualifications and experience for appointment to the post of Assistant Director Grade-II/Sub-Divisional Engineer in the Central Water Engineering Group 'B' Service by deputation shall be as under—

Sl. No.	Name of post	Method of recruitment	Field of deputation, qualifications and experience for appointment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Assistant Director Grade-II/Sub-Divisional Engineer	By deputation	Officers of the Central Government or the State Government or the Union Territories or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous Bodies or Statutory Organizations— (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 (Pre-revised) or equivalent and possessing the following qualifications and experience, namely :— (a) Bachelor's Degree in Civil Engineering or Mechanical Engineering from a recognized University; and (b) three years' experience in work relating to Civil Engineering or Mechanical Engineering.

[No. 8/2009, F. No. 13/7/98-Est-I (Vol. III)]

K. RAJAPPA, Under Secy.

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2009

सा.का.नि. 38.—राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 309 के पर्यंतक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशकों के कार्यालयों में, निजी सचिव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1).—इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशकों के कार्यालय, निजी सचिव, समूह "ख" पद भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाभ के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिक्षित करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ कार्य के जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा लागू करेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिस पर सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (ऐशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
निजी सचिव	4* (2009) कायदा के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	6500-200-10500/- रु. (पूर्व-पुनरीक्षित)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति द्वारा तथा विधि द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति: 5500-9000 (पूर्व-पुनरीक्षित) के वेतनमान में ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-1 जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो या जिन्होंने 5500-9000 (पूर्व-पुनरीक्षित) और 5000-8000 (पूर्व-पुनरीक्षित) के वेतनमान में आशुलिपिक, श्रेणी-1, आशुलिपिक श्रेणी-2 में सम्मिलित 6 वर्ष की सेवा की हो।	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. निदेशक या उप-सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय 2. अवर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय 3. अवर सचिव/उप-निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	लागू नहीं होता	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य

(11)

where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(12)

Not applicable.

(13)

Consultation with Union Public Service Commission necessary when an officer in the field of consideration for appointment on absorption basis.

It No A-12018/01/09-RS/
OMANAND Under Sec.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2011

आ.मि. 312.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियमों का शीर्षक और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा (संशोधन) नियम, 2011 रहेगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

केन्द्रीय जल इंजीनियरी समूह 'ख' सेवा नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 4 के उपनियम (1) में, 'वेतनमान' शब्द के स्थान पर 'वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान' शब्द रखे जाएंगे।

उक्त नियमों की अनुसूची 1 में—

(क) शीर्ष में, "वेतनमान" शब्द के स्थान पर, "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) अनुसूची 1 में शीर्ष और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा

"वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान"

"वेतन बैंड रु. 9300—34800 पन ग्रेड वेतन रु. 4600"।

उक्त नियमों की अनुसूची 2 के स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) चत्तीस प्रतिशत सिविलिया रु. 4200 ग्रेड वेतन के साथ रु. 9300—34800 के वेतनबैंड 2 में ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) और कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिकी) में से भरी जाएगी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विदेशी विद्यालय से सिविल या यांत्रिकी इंजीनियरी में स्नातक उपाधि है, और

(2) सात प्रतिशत सिविलिया रु. 4200 ग्रेड वेतन के साथ रु. 9300—34800 के वेतनबैंड 2 में ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल) और कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिकी) में से भरी जाएगी जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विदेशी विद्यालय या संस्था से सिविल या यांत्रिकी इंजीनियरी में डिप्लोमा है।

टिप्पणी : यदि किसी प्रवर्ग से, उस प्रवर्ग से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए आर्बिट्ररी शक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त पात्र अधिकारियों अर्थात् डिप्टी भारकों या डिप्लोमा भारकों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं होती है तो नियंत्रक प्राधिकारी सभी या निम्नी शक्तियों को, अन्य प्रवर्ग से उपयुक्त पात्र अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा इस शर्त के अधीन रहते हुए भर सकेगा कि किसी भी प्रवर्ग के अधिकारियों में से भरे जाने वाले पदों का सम्पूर्ण अनुपात, जहां तक हो सके ऊपर विहित प्रतिशत के अनुसार बनाए रखा जाएगा।"

5. उक्त नियमों की अनुसूची 4 के साथ (4) की परिस्थितियों के स्थान पर निम्नलिखित परिस्थितियाँ रखी जाएगी, अर्थात् —
 “केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठनों में ऐसे अधिकारी,—
 (i) जो मूल कानून या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या
 (ii) निम्नलिखित रु. 4200 के या समतुल्य वेतनमान के साथ रु. 9300—34800 के वेतन बैंड 2 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पद धारण करने को दे और जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएँ और अनुभव हैं, अर्थात् :—
 (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी या यांत्रिकी इंजीनियरी में स्नातक उपाधि; और
 (ख) सिविल इंजीनियरी या यांत्रिकी इंजीनियरी में संबंधित कार्य में तीन वर्ष का अनुभव।”

[सं. 15/2011/फा. सं. 35/2/2009-स्था. 1.]

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.कानि. 37, तारीख 28 मार्च, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
 नरेंद्र सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 1st November 2011

G.S.R. 1171.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Water Engineering Group 'B' Service Rules, 2009, namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Water Engineering Group 'B' Service (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Water Engineering Group 'B' Service Rules, 2009, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, in sub-rule (1), for the words "scale of pay", the words "pay band and grade pay or pay scale" shall be substituted.

3. In the said rules, in SCHEDULE-I—

(a) in the heading for the words "scale of pay", the words "pay band and grade pay or pay scale" shall be substituted; and

(b) in column (4), for the heading and entries therewith the following shall be substituted, namely—
 "pay band and grade pay or pay scale"
 "PB-2 Rs. 9300—34800 plus grade pay Rs. 4600"

4. In the said rules, in SCHEDULE-II in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:

(1) Forty per cent of the vacancies to be filled from amongst Junior Engineers (Civil) and Junior Engineers (Mechanical) in the pay band PB-2 of Rs. 9300—34800 along with grade pay of Rs. 4200 with five years regular service in the grade and possessing Bachelor's Degree in Civil or Mechanical Engineering from a recognised University; and

(2) Sixty per cent of the vacancies to be filled from amongst Junior Engineers (Civil) and Junior Engineers (Mechanical) in the pay band PB-2 of Rs. 9300—34800 along with grade pay of Rs. 4200 with seven years regular service in the grade and possessing Diploma in Civil or Mechanical Engineering from a recognised University or Institution.

Note. If the required number of suitable eligible officers is not available from a particular category, i.e. Degree holders or Diploma holders for filling the vacancies allocated to be filled by promotion from the category, the controlling authority may fill all or any of the vacancies by promotion of suitable eligible officers from the other category subject to the condition that the overall proportion of posts to be filled from amongst the officers of either category shall be, as soon as could be, maintained in accordance with the percentage prescribed above.

5. In column (4) of the SCHEDULE-IV of the said rules, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:

"Officers of the Central Government or the State Governments or the Union Territories or Public Sector Undertakings or semi-Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations

- (i) holding an appointment post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band PB-1 of Rs. 9300—34800 along with grade pay of Rs. 4200 or equivalent and possessing the following qualifications and experience, namely—

- (a) Bachelor's Degree in Civil Engineering or Mechanical Engineering from a recognised University;
- (b) Three years experience in work relating to Civil Engineering or Mechanical Engineering.

[No. 15/2011/F. No. 35/2/2009-Estt. I]

NARENDRA SINGH, Under Secy.

Note: The Parental rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide Number G.S.R. 37, dated the 20th March, 2009.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और प्रत्येपालन विभाग)

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2011

संज्ञा नि. 3-13:—एष्टपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार उत्पादन का निरीक्षण संचालित करने के लिए क्षेत्रीय केंद्र (वर्ग-III और वर्ग-IV पद) भर्ती नियम, 1968 को जहाँ तक उसका संबंध चपरासी और चौकीदार के पदों से है और बृहत् चार बीज उत्पादन फार्म समूह "ग" और समूह "घ" पद भर्ती नियम, 1984 को, जहाँ तक उसका संबंध चौकीदार, इफ्तरी, कर्मशाला का परिकर और ट्रेक्टर सहायक के पदों से है, उन बातों के सिवाव अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने का लक्ष्य किया गया है, बीज उत्पादन और निदर्शन के लिए क्षेत्रीय केंद्र और केंद्रीय चार बीज उत्पादन फार्म, हिसारघट्टा बंगलुरु में साधारण केंद्रीय सेवा (समूह "ग" पद) अराजपत्रित, अननुसूचितवीय के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम काली हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बहु कार्य कर्मचारिवृद्ध, बीज उत्पादन और निदर्शन के लिए क्षेत्रीय केंद्र और केंद्रीय चार बीज उत्पादन फार्म, हिसारघट्टा, बंगलुरु (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवृत्ति से छूट दे सकेंगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केंद्रीय सरकार को यह पता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।